न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 20/2019

उनवान

श्रीमती इन्द्र कंवर पत्नी मदनसिंह, जाति राठौड़, निवासी आमजा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।

-: प्रार्थीया

बनाम

(1) श्रीमती मंजु देवी पत्नी मोहनलाल जाति भील निवासी आमजा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(2) कल्पेश पुत्र मोहनलाल, जाति भील, निवासी आमजा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(3) बापुलाल पुत्र मोहनलाल, जाति भील, निवासी आमजा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(4) तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।

-: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 राजस्थान उपनिवेश (माही परियोजना के सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय), नियम 1984

निर्णय

दिनांक: 22.01.2021

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भू आवंटन अधिकारी गढ़ी (एस.डी.ओ. साहब), जिला बाँसवाड़ा राजस्थान द्वारा दिनांक 20.02.2013 को अप्रार्थी के पति व पिता मोहनलाल पिता हिम्मतलाल, जाति भील, निवासी आमजा के नाम कुल रकबा 31 एयर वाके ग्राम आमजा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा (राज.) में आवंटन की गई है। उक्त आवंटन आदेश से अप्रसन्न व असंतुष्ट व व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र पेश है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि, गांव आमजा, तहसील गढ़ी के सर्वे नं. 1158 रकबा 0.27 एयर व सर्वे नं. 212 रकबा 0.04 एयर जिस पर प्रार्थीया व उसके परिवार के सदस्यों का लम्बे समय से कब्जा काश्त होकर काबिज है और चारों ओर बाउण्ड्री बना रखी है एवं अप्रार्थीगण के पिता व पति श्री मोहनलाल ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त सर्वे नम्बरान की भूमि का गलत व गैरकानूनी तरिके से अपने नाम आवंटन की है एवं अभी एक माह पूर्व इस तथ्य की जानकारी होने से प्रार्थीया द्वारा एलोटमेंट व राजस्व रेकॉर्ड की नकल प्राप्त की है और उसे उक्त आवंटन जो कपट, दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया जाकर नियमों के विरुद्ध है तथा आवंटन आदेश से अप्रसन्न, असंतुष्ट व व्यथित होकर उक्त अवैध और गैरकानूनी आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया गया कि उक्त आवंटन आदेश दिनांक 20.02.2013 पत्रावली पर आई साक्ष्य, तथ्यों व कानून के प्रावधानों के विपरीत होकर काबिल व निरस्ती है। तथा उक्त सर्वे नं. की भूमि पर प्रार्थीया व उसके परिवार का पिछले 30–35 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है एवं उस पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है एवं चारों ओर बाउण्ड्री बना रखी है एवं अप्रार्थीगण और उसके पति व पिता मोहनलाल का उक्त सर्वे नम्बर की भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है और न ही कभी काश्त की है और हल्का पटवारी द्वारा सलाहकार समिति के समक्ष गलत रिपोर्ट पेशकर गलत आवंटन किया गया है एवं सलाहकार समिति ने मौके की जांच नहीं कर मनमाने ढंग से रिपोर्ट कर कागजी आवंटन कर दिया है जो काबिले निरस्ती है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता व पति मोहनलाल का कभी कब्जा नहीं रहा है और न ही उसने कभी काश्त की है एवं आवंटन होने के बाद भी उक्त [illegible] मोहनलाल ने कभी काश्त नहीं की है और न ही अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर कभी [illegible] काश्त की है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया व उसके वार के लोगों द्वारा पिछले 30–40 [illegible] काश्त करते आ रहे है। जबकि कानूनन किसी व्यक्ति को उक्त नियम के अन्तर्गत आवंटन किया जाता है तो उसे काश्त करना जरुरी है और आवंटन होने के बाद भी यदि वह दो साल तक काश्त नहीं करता है तो भी ऐसा आवंटन काबिल निरस्ती है। उक्त भूमि को आवंटन करने के पूर्व नियम 7 व नियम 8 के अनुसार कोई आवंटन, दौराने लिस्ट तैयार नहीं की गई है एवं नियमानुसार कोई पब्लिकेशन भी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

करवाया गया है। इस कारण भी उक्त आवंटन काबिल निरस्ती है। उक्त आवंटन के संबंध में नियमानुसार आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है. एवं उक्त भूमि के आवंटन के पूर्व नियमानुसार कोई सूचना जारी नहीं की गई है। उक्त आवंटन के संबंध में आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है, आवंटन प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2013 को पेश करना बताया है और पटवारी की जांच रिपोर्ट भी दिनांक 20.02.2013 को प्राप्त होना बताया है और उसी दिन प्रशासन गांव के संग शिविर कैम्प आमजा में दिनांक 20.02.2013 को ही ताबडतोड़ बिना कोई जाँच किये अप्रार्थी के पिता व पति के नाम उक्त भूमि आवंटन कर दी है एवं पटवारी और आवंटन सलाहकार समिति ने अप्रार्थी के पिता व पति से मिलकर बिना किसी वैधिक कार्यवाही की नियमों की पालना नहीं करते हुए उक्त भूमि का अप्रार्थी के पिता व पति के नाम एलोट करने के आदेश दिये है जो विधि विरुद्ध होकर काबिल निरस्ती है। आवंटन की शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी को आज तक मौके पर उक्त भूमि का कब्जा सुपूर्द नहीं किया है तथा मृतक मोहनलाल एलोटमेंट किये जाने वाला व्यक्ति अथवा उक्त अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर कभी कृषि नहीं की है तथा अप्रार्थी आवंटी ने नियमों की पालना नहीं की है, इसलिये आवंटन काबिल निरस्ती है। इस प्रकरण में नियमानुसार आवंटन कमेटी का गठन नहीं किया गया है तथा कमेटी के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं है एवं उक्त भूमि पर प्रार्थीया व अप्रार्थी का बरसों पुराना कब्जा चला आ रहा है और पूर्व से काबिज प्रार्थीया को उक्त भूमि पर बेदखल करने का आदेश भी नहीं दिया गया है और अप्रार्थी के पति व पिता को मौके पर कब्जा भी सुपूर्द नहीं किया है। इस कारण उक्त आदेश काबिल निरस्ती है। आवंटन के पश्चात् आवंटी मोहनलाल को मौके पर कब्जा सुपूर्द नहीं किया गया है और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट आवंटन के शर्तो के अनुसार आप श्री उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। अप्रार्थी के पिता व पति मृतक मोहनलाल ने नियमानुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में आधी भूमि पर व उसके बाद दुसरे वर्ष शेष भूमि पर खेती नहीं की है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश की है और न ही मोहनलाल की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीगण ने उक्त एलोटशुदा भूमि पर कभी काश्त की है अर्थात् उक्त भूमि पर आवंटी मोहनलाल व अप्रार्थीगण ने कभी कोई काश्त नहीं की है न तो भूमि आवंटन के पूर्व की है ना ही उसके पश्चात् की है, इसलिये अब मृतक मोहनलाल के नाम की गई आवंटन भूमि काबिल निरस्ती है। आवंटन आदेश कपट व दुर्व्यपदेशन द्वारा मृतक मोहनलाल ने प्राप्त किया है, आवंटन आदेशों के नियमों के विरुद्ध है एवं आवंटी मोहनलाल ने आवंटन के शर्तो की पालना नहीं की है। आवंटन नियम विरुद्ध होने से काबिल निरस्ती है। उक्त आवंटन में आवंटन के लिये आवेदन–पत्र आमंत्रित करने की उद्घोषणा जारी नहीं की गई है एवं चुपचाप हितबद्ध व्यक्तियों को लाभ देने के उद्देश्य से सारी कार्यवाही की गई है। नियम 9 (1) के अनुसार आवंटी मोहनलाल का आवेदन विहित प्रारुप में नहीं है तथा नियम 9 (3) (बी) अनुसार कोई जाँच नहीं की गई है। आवंटन सलाहकार समिति में परामर्श किये जाने का प्रावधान है। नियम 10 के अनुसार सलाहकार समिति में विधानसभा के सदस्य, पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, पंचायत समिति का सदस्य एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनित व्यक्ति होना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी ने नियम 10 के अनुसार कोई समिति गठित नहीं की है और जो समिति गठित करना बताया गया है वह नियम 10 के प्रावधानों के विपरीत होकर असंवैधानिक है तथा असंवैधानिक समिति की सलाह पर किया गया उक्त आवंटन गैरकानूनी होकर काबिल निरस्ती है। उक्त आवंटन के संबंध में गांव में कोई बैठक नहीं की गई है, न हुई है और न ही इस संबंध में कोई सूचना जारी की गई है। उक्त भूमि का आवंटन मोहनलाल पिता हिम्मतलाल जाति भील निवासी [illegible] नाम दिनांक 20.02.2013 को हुआ था जिसकी मृत्यु हो चुकी है और [illegible] पिता हिम्मतलाल जाति भील निवासी आमजा के नाम गैर खातेदार [illegible] रिकार्ड है एवं आवंटी मोहनलाल की मृत्यु हो चुकी है व अप्रार्थीगण का नाम खाते में दर्ज नहीं है एवं मृतक व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है, इसलिये अप्रार्थीगण, मृतक के वारिसे व उत्तराधिकारीगण होने से उन्हें पक्षकार बनाया जाकर धारा 17 उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:14 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अप्रार्थी के पिता व पति मोहनलाल के नाम कुल 31 एयर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नही हैं एंव इस प्रार्थना–पत्र में बताये गये तथ्यों के अनुसार सर्वे नम्बर 1158 रकबा 0.27 एयर पर प्रार्थीया और उसके परिवार द्वारा वर्षो से काश्त करना और उस पर बाडण्ड्री बनाकर उपयोग व उपभोग करना स्वीकार है एंव आज भी प्रार्थीया और उसके परिवार द्वारा काश्त की जा रही है। सर्वे नम्बर 212 रकबा 0.04 एयर पर अप्रार्थीगण का कब्जा हैं और हमारे पिता के समय से काश्त की जा रही है। आवंटन आदेश दिनांक 20.2.2013 के सम्बन्ध में हमारे पिता ने सर्वे नम्बर 212 रकबा 0.04 हे0 भूमि पर ही काश्त की है, जिसमें आज भी हमारा कब्जा है। इसलिए सर्वे नम्बर 212 रकबा 0.04 हे0 भूमि का आवंटन सही किया गया है। शेष प्रार्थना–पत्र में बताई गई भूमि के सर्वे नम्बर 1158 रकबा 0.27 एयर भूमि पर हमारा व हमारे पिता का कब्जा नही रहा है और ना ही हमने कभी काश्त की है। इसलिए सर्वे नम्बर 1158 रकबा 0.27 एयर पर किये गये आवंटन को निरस्त करने में हमें कोई आपत्ति नही है। परन्तु सर्वे नम्बर 212 रकबा 0.04 हे0 भूमि पर हमारा कब्जा है। जिसे निरस्त करने में हमें आपत्ति है।

प्रकरण में पटवारी हल्का आमजा से मौके की रिपोर्ट ली जाने पर मौजा आमजा के सर्वे नम्बर 212 जिसका वर्तमान नम्बर 4198/212 रकबा 0.04 हे0 भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त होना अवगत कराया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई।

बकुलाय की बहस पर मनन् करने तथा प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, संलग्न भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंसा, भूमि आवंटन प्रार्थना–पत्र, भूमि आवंटन आदेश, मौजा आमजा के नामान्तरकरण संख्या 741 की नकल की छाया प्रतिया एंव अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का आमजा के मौजा आमजा के सर्वे नम्बर 1158 रकबा 0.27 हे0, सर्वे नम्बर 212 रकबा 0.04 हे0 कुल किता दो रकबा 0.31 हे0 भूमि का आवंटन नियमानुसार श्रीसरकार भूमि जो आवंटित की जानी हैं, उसकी उद्घघोषणा जारी की जाकर मजमेंआम में आवंटित की जाने वाली भूमि के सर्वे नम्बर की घोषणा करतें हुऐ भूमि आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा आवंटन किया गया हैं। प्रार्थीया के अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित चरण संख्या 01 लगायत 16 तथा सर्वे नम्बर 212 को सिद्ध करने में असफल रहने से एंव अप्रार्थीण की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार अप्रार्थीगण सर्वे नम्बर 1158 रकबा 0.27 हे0 भूमि पर काबिज नही होकर सर्वे नम्बर 212 रकबा 0.04 हे0 भूमि पर ही काबिज है। तथा अप्रार्थीगण का कथन हैं कि सर्वे नम्बर 1158 रकबा 0.27 हे0 भूमि पर प्रार्थीया ही काबिज है।

अतः पटवार हल्का आमजा के मौजा आमजा में भूमि आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा किये गये भूमि आवंटन के निमित दर्ज किये गये नामान्तरकरण संख्या 741 द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में खाता कायम किया गया है जिसमें से सर्वे नम्बर 1158 रकबा 0.27 हे0 भूमि अप्रार्थीगण के खातें से कमी किया जाकर सिवायक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:06:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner